अनदेखी | आम नागरिकों को पढ़ा रहे हैं पाठ, खुद हैं लापरवाह

वर्दीधारियों के लिए हेलमेट जरूरी नहीं .?

जबलपुर, नवभारत। मौत कभी पता पूछकर नहीं आती है। लेकिन इस वाक्य की महत्वता को दरकिनार करते हुए पुलिस कर्मी शहर की सड़को पर बिना हेलमेट लगाए वाहन चलाते देखे जा सकते है। आमजनों को नेक राह पर चलने की सीख देने वाले कानून के रक्षक खुद की नियम कायदों को तार तार कर रहे हैं। वैसे तो सड़क हादसों में होने वाली मौतों को लेकर प्रशासन अर्लट है। समय समय पर यातायात पुलिस बिना हेलमेट लगाकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई भी करती है। इसके लिए जगह-जगह चेकिंग प्वॉइंट भी बनाए जाते हैं और इन प्वॉइंट में बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को रोका भी जाता रहा है।

खुद तोड़ते हैं नियम

पुलिस के जवान खुद ही सड़कों पर नियमों को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनको भी हेलमेट लगाना चाहिए। बता दे कि चेकिंग प्वॉइंटों पर वर्दीधारियों को रोका नहीं जाता है। जिससे आम नागरिक यही कहते हुए दिखाई देते हैं कि खुद बिना हेलमेट वाहन चलाते हैं और दूसरों का चालान बनाते हैं। जिसको लेकर नवभारत द्वारा अधिकारी से पूछे गए सवाल को घुमा दिया जाता है और बदले मे यह बताया जाता है कि आमजन हेलमेट नहीं लगाने के सौ बहाने बनाते है। कोई बोलता है कि छोटी दूरी के लिए हेलमेट जरूरी नहीं होना चाहिए, जबकि कुछ इसे अचानक की गई कार्यवाही बताते है। वही कुछ तो सिर में चोट और दर्द का हवाला देते हुए हेलमेट न पहनने की बात कहते है लेकिन जिम्मेदार ये बताना भूल गए कि बहाना बनाने वालों में पुलिस कर्मी भी शामिल रहते है।

चल चुका है अभियान

विगत कुछ दिनों से सुस्त पड़ी हेलमेट चेकिंग को लेकर जब नवभारत द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल जवाब किए गए थे उन्होंने उनके द्वारा बताया गया कि विगत 15 दिनों पहले हेलमेट चेकिंग को लेकर विशेष अभियान चलाया गया था जिसके तहत सैकड़ो चालान भी किए गए थे एक बार फिर से इस अभियान को शुरू किया जाएगा बता दें कि अधिकारी के कहते ही थाने के सामने चैकिंग चालू करवा दी जाती है। जबकि कर्मियों को लोकेशनों पर जांच करनी चाहिए जहां से वाहनों का आवागमन अधिक होता है। अब हकीकत यह है कि थानों के सामने ही पुलिस के जवान खड़े होकर चेकिंग करते हैं और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करते हैं। जबकि पुलिस के जवान खुद बिना हेलमेट वाहन दौड़ाते हैं। इन हरकतों के कारण कई बार विवाद की स्थितियां भी निर्मित हो जाती हैं। वहीं थानों में कुछ जवान ऐसे भी हैं जो बिना वर्दी ही काम करते हैं और सिर्फ आम जनता ही लपेटे में आती है।

इनका कहना है

हेलमेट सभी दोपहिया वाहन चालकों को लगाना चाहिए इससे उन्हीं की सुरक्षा पुख्ता होती है। एक बार फिर से विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया जाएगा।

संतोष कुमार शुक्ला
डीएसपी, यातायात

कान्हा नेशनल पार्क में बाघों की मौत को चुनौती

जबलपुर। कान्हा नेशनल पार्क में बाघों की मौत हो चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है। याचिका में कहा गया है कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित मापदंड का पालन नहीं किया जाने के कारण बाघों की मौत में इजाफा हुआ है। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक जैन तथा जस्टिस ए के निरंकारी की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए बाघों की मृत्यु के मामले में उनके द्वारा उठाए गए निवारक और उपचारात्मक उपायों के संबंध में विशिष्ट कथन प्रस्तुत करेंगे के निर्देश जारी किये है। याचिका पर अगली सुनवाई 22 जून को निर्धारित की गयी है।

मुम्बई के चेम्बूर निवासी अधिवक्ता सुब्रत चक्रवर्ती की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि कान्हा टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों की मौत हो रही है। अप्रैल माह में कान्हा टाइगर रिज़र्व में बाघिन टी-122 (सुनैना) और बाघिन टी-141 (अमाही) तथा उसके चार अर्ध-वयस्क शावक की मौत हो गयी। रिपोर्टों के अनुसार मौतों से पहले उनकी शारीरिक स्थिति में स्पष्ट गिरावट देखी गयी गयी। इन मौतों का कारण संदिग्ध कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीव्ही) माना गया। एक और युवा नर बाघ टी-220 (च्च्महावीरज्ज) की भी 19 मई 2026 को मृत्यु हो गई; उसकी मृत्यु का कारण संभावित सीडीव्ही बताया गया है। इसी समय-सीमा के दौरान दो वयस्क नर बाघों की बालाघाट और किसली क्षेत्रों में मृत पाए गए। अकेले कान्हा टाइगर रिज़र्व में ही एक महीने के समय में आठ वाघों की मौत हुई है। याचिका में कहा गया था कि कान्हा टाइगर रिज़र्व में प्रायलुप्त रॉयल बंगाल टाइगर की आबादी की सुरक्षा करना है। इसके लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 ,प्रोजेक्ट टाइगर व एनटीसीए दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत बाघों की मौतों की वैज्ञानिक निगरानी, रोग निगरानी और जांच को नियंत्रित करने वाले वैधानिक और प्रशासनिक ढांचे का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए बाध्यकारी मानक और परिचालन निर्देशों का पालन करना है। जिनमें निगरानी, रोग निगरानी, पशु चिकित्सा सेवाएँ, और च्च्अविभाज्यज्ज् मुख्य आवासों के प्रबंधन से संबंधित निर्देश शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि टाइगर रिज़र्व के भीतर सीटीव्ही से बाघों की मृत्यु होने के बावजूद भी वर्तमान जारी है। इसके बावजूद भी निगरानी, जैव-सुरक्षा और इंटरफ़ेस-प्रबंधन उपायों की पूर्ण प्रकृति, सीमा और कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। निर्धारित प्रोटोकॉल के दिशानिर्देशों वैधानिक दायित्वों के अनुरूप् बनाये गये है। याचिका में राहत चाही गयी है कि निवारण और निगरानी संबंधी उपायों का पालन सुनिश्चित किया जाये। याचिका में केंद्रीय पर्यावरण सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण,प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा डायरेक्टर कान्हा टाइगर रिजर्व को अनावेदक बनाया गया है। याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अंशुमान सिह तथा तथा अधिवक्ता प्रतीक रूसिया ने पैरवी की।

शराब दुकानों पर आबकारी ने मारे छापे

जबलपुर। शहर में नियमों को ताक पर रखकर शराब बेचने और ग्राहकों से तय कीमत से अधिक पैसे वसूलने समेत आबकारी नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली शराब दुकानों पर शिकंजा कसने आबकारी ने शहर की शराब दुकानों पर शुक्रवार को अचानक छापेमारी कर दी। धनवंतरी नगर समेत आधा दर्जन से अधिक देशी व विदेशी शराब दुकानों पर एक साथ औचक निरीक्षण किया। इस औचक कार्रवाई से शराब ठेकेदारों और उनके कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। स्टॉक की मिसमैचिंग और ओवररेटिंग की जांच हुई। दुकानों के स्टॉक रजिस्टर का मिलान किया गया। मिलावट रोकने के लिए सैंपल लिए गए। सीसीटीवी कैमरों और सेल्समैन के व्यवहार की भी बारीकी से जांच की गई है। दुकानों के आसपास सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों को भी परखा गया। गंदगी पाए जाने पर संचालकों को कड़ी फटकार लगाई गई।

शराब दुकान हटाने आज होगा प्रदर्शन

संजीवनी नगर स्थित शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर शिवसेना जबलपुर महानगर प्रमुख मुकेश सराठे एवं जिला प्रमुख शैलू पटेल सुजीत के नेतृत्व में शिव सेना पुतला दहन करेगी। संजीवनी नगर स्थित शराब दुकान संस्कार निकेतन स्कूल से लगी हुई जो आबकारी नीति के विरुद्ध हैं।

पुलिस ने दफना दी लाश, परिजनों को नहीं दी जानकारी

घमापुर थाने में हंगामा, 6 दिन बाद शिनाख्त, सातवें दिन बवाल

परिजन शव की मांग पर अड़े हत्या की जताई आशंका

जबलपुर। घमापुर थाना अंतर्गत सतपुड़ा रेल्वे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। पहचान न होने पर पुलिस ने शव को गढ़ा मुक्तिधाम में दफना दिया। इसकी जानकारी परिजनों को नहीं दी गई जबकि उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 6 दिन बाद जब मृतक की पहचान हुई तो सातवें दिन बवाल खड़ा हो गया। आक्रोशजिनों ने शुक्रवार को घमापुर थाना घेर लिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। शव की सुपुर्दगी की मांग पर अड़ गए । इसके साथ ही हत्या की आशंका जाहिर की। शव को दफनाने से परिजनों में भारी आक्रोश देखा गया। पुलिस ने गुस्साएं लोगों को आश्वासन दिया साथ ही जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। दे

रांझी में गुमशुदगी, कैंट ने टरकाया, घमापुर में दर्ज हुआ मर्ग

जानकारी के अनुसार साहिल पासी 22 वर्ष निवासी सदर का रांझी स्थित एक दुकान में काम करता था। 22 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। परिजन उसकी तलाश में जुटे थे लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लग रहा था। इसके बाद परिजन केंट थाने पहुंचे जहां से सीमा विवाद के चलते परिजनों को टरका दिया। परिजन रांझी थाने पहुंचे। 23 मई को पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करते हुए पतासाजी शुरू की ।

सीडीआर लोकेशन से खुला राज

पुलिस ने सीडीआर निकलवाई । इसके बाद लोकेशन सतपुड़ा ट्रेस हुई। पुलिस ने पता किया तो यह बात सामने आई कि एक युवक ट्रेन से कटा था पीएम के बाद शव को चौहानी मुक्तिधाम में दफना दिया गया । गुरूवार को परिजन साहिल की खोज खबर लेने रांझी थाने पहुंचे। इसके बाद उन्हें घमापुर थाने भेजा गया जहां पुलिस ने रेल्वे ट्रैक पर कटे मृतक की वीडियो, फोटो परिजनों को दिखाई तो उन्होंने पहचान कर ली ।

पुलिस ने बरती लापरवाही एसपी ऑफिस पहुंचे

शुक्रवार को परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने घमापुर थाने पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। परिजन का कहना रहा कि सात दिन पहले ही साहिल की मौत हो गई थी इसकेबाद भी पुलिस ने उन्हें सूचना नहीं दी दोनों थानों की पुलिस ने लापरवाही बरती। परिजन शव की मांग पर अड़ गए इसके साथ ही हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सुनवाई नहीं हुई तो एसपी ऑफिस पहुंचे जहां उन्होंने शव सुपुर्दगी की मांग की। साथ ही निष्पक्ष जांच और हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराने की मांग की है ।

प्रेम प्रसंग एंगल आया सामने

घमापुर थाना प्रभारी दिनेश गौतम ने बताया कि युवक की ट्रेन से कटकर मौत हुई थी। शिनाख्त नहीं हो पाई थी जिसके चलते परिजनों को जानकारी नहीं दी जा सकी थी। शव को दफना दिया गया था। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है जांच चल रही है प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि युवक का किसी युवती से प्रेम संबंध थे जिसके चलते उसने यह कदम उठाया है विस्तृत जांच, पीएम रिपोर्ट आना बाकीहै इसके जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी ।

मेट्रो बस ने रौंदा, पहिए में फंस घिसटी महिला की मौत

कछपुरा ब्रिज ढलान के पास हुआ दर्दनाक हादसा

जबलपुर। संजीवनी नगर थाना अंतर्गत कछपुरा ब्रिज ढलान के पास शुक्रवार दोपहर एक तेज रफ्तार मेट्रो बस ने एक्टिवा को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में बस के पहिए की चपेट में आने के साथ महिला घिसट गई और उसकी घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई । वहीं घटना को अंजाम देने के बाद मेट्रो चालक मौके से फरार हो गया । सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस को जब्त कर प्रकरण दर्ज करते हुए चालक की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक मुकेश पटेल 45 वर्ष निवासी संजय नगर यादव कॉलोनी लार्डगंज गाड़ी चलाने का काम करता है। शुक्रवार दोपहर लगभग 12-40 बजे मोपेड एक्टिवा से पत्नी कविता पटैल और दामाद सुमित पटैल एवं छोटी बेटी महिमा पटैल के साथ एक्टिवा में बैठकर स्याहीनाका संजीवनीनगर जा रहे थे, गाड़ी उसके दामाद चला रहे थे कछपुरा ब्रिज के पास पहुंचे तो मेट्रो क्रमांक एमपी 20 पीए 1271 के चालक ने तेज गति लापरवाही से चलाते हुये एक्टिवा में टक्कर मार दिया। टक्कर लगते ही एक्टिवा असंतुलित हो गई और कविता पटेल सीधे चलती बस के पिछले पहिए के नीचे आ गईं। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक तुरंत ब्रेक नहीं लगा पाया, जिससे कविता बस के नीचे फंसकर कुछ दूर तक घिसटती चली गईं। इस खौफनाक हादसे में कविता के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। अत्यधिक खून बह जाने और गंभीर चोटों के कारण कविता पटेल 42 वर्ष ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे को देख राहगीरों के रोंगटे खड़े हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया और आरोपी बस चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली।

हाईवे पर ट्रक ने कुचला, युवक की मौत

भेड़ाघाट थाना अंतर्गत बिट्टू ढाबा के पास एन एच 45 में बेलगाम ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया। हादसे में घायल ने मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक सीताराम पटेल 64 वर्ष निवासी विवेकानंद कॉलोनी भेड़ाघाट के 2 बेटे हैं बड़ा बेटा शरद चौबे एवं छोटा बेटा चिंटू उर्फविकास पटेल थे उसका छोटा बेटा स्वयं का ई रिक्शा चलाता था। बीती रात लगभग 9 से 10 बजे के बीच जबलपुर तरफसे अपने घर भेड़ाघाट आ रहा था बिट्टू ढाबा के पास एन एच 45 रोड आया कि सामने से आ रहे ट्रक चालक ने वाहन को तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उसे टक्कर मार दी । हादसे में चिंटू को पेट में चोटें आ गयीं थी जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान चिंटू उर्फ विकास पटेल 31 वर्ष ने दम तोड़ दिया।

चिलचिलाती धूप में निगमायुक्त ने किया विभिन्न प्रोजेक्ट्स का औचक निरीक्षण

नवभारत,जबलपुर। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच भी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार के द्वारा लगातार दौरे किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को निगमायुक्त ने अपनी पूरी टीम के साथ शहर के प्रमुख पर्यावरण और स्वच्छता प्रोजेक्ट्स का मैदानी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, साइंटिफिक लैंडफिल साइट, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों को व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक-चैबंद रखने के सख्त निर्देश दिए।

निगमायुक्त ने खुद धूप में खड़े होकर एक-एक प्लांट की कार्यप्रणाली को देखा। उन्होंने कहा कि मौसम की चुनौतियाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हों, शहर की स्वच्छता और विकास कार्यों की गति धीमी नहीं होनी चाहिए।

कचरे से बिजली बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा

निरीक्षण के दौरान कचरे से बिजली बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्लांट की क्षमता का शत-प्रतिशत उपयोग करने और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निपटान को लेकर उन्होंने निर्देश दिए कि पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे और डंपिंग साइट पर नियमों का पूरी तरह पालन हो। सूखे और गीले कचरे के पृथक्करण की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया, ताकि रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिल सके।

निर्माण और विध्वंस से निकलने वाले मलबे के सही प्रबंधन और उससे बनने वाली निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।

घर और शराब दुकान में बमबाजी, गोली मारने की धमकी

रासुका में छूटे बदमाश ने भाई व गुर्गों के साथ फैलाई दहशतगर्दी, तीन एफआईआर दर्ज

जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत शोभापुर में रासुका से छूटे बदमाश ने भाई व गुर्गों के साथ मिलकर देर रात दहशतगर्दी फैलाई। घर व शराब दुकान में बमबाजी कर दी। चंद मिनटों में हुई दो बमबाजी से इलाके में दहशत फैल गई । वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। इसके बाद शुक्रवार को रिपोर्ट दर्ज कराने वाले फरियादी के पड़ोसी को फोन कर गोली मारकर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज कर उनकी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है।

रांझी थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि शोभापुर क्षेत्र में हाल ही में एनएसए से छूटकर आए पवन रजक एवं उसके भाई प्रवीण रजक द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देकर क्षेत्र में दहशत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। गुरूवार एवं शुक्रवार की दरम्यानी रात्रि 12 बजे दोनों आरोपित अपने साथियों के साथ शोभापुर पहुंचे जहां उन्होंने पुष्पे न्द्र रजक पिता जिया लाल रजक के घर के बाद बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, इसके बाद चंद ही मिनट बाद शोभापुर ब्रिज के पास स्थित शराब दुकान में भी बम पटके। जिससे पूरे क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित हो गया। घटना के बाद जब स्थानीय लोगों द्वारा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद शुक्रवार को पुष्पेन्द्र रजक के पड़ोसी अभिषेक सिंह को आरोपियों द्वारा गोली मारने एवं जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपियों का उद्देश्य क्षेत्र में भय कायम कर अवैध वसूली एवं गैंग गतिविधियों को बढ़ावा देना प्रतीत हो रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पवन रजक एवं प्रवीण रजक अपने गैंग के साथ लगातार सक्रिय हैं एवं आए दिन धमकी, मारपीट एवं विस्फोटक घटनाओं के माध्यम से आम नागरिकों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। इनके बढ़ते आतंक से नागरिक भयभीत हैं और क्षेत्र की कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, ताकि क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा का वातावरण पुन: स्थापित हो सके।

फैसला | एक अधिकार क्षेत्र से बाहर तो कई में दस्तावेज, प्रतिवेदन, हस्ताक्षर में अनियमिततायें, गड़बड़ियां मिली, कलेक्टर न्यायालय का फैसला

बिना जांच,परीक्षण पारित नामांतरण के 7 और आदेश निरस्त

जबलपुर । कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने न्यायालय तहसीलदार आधारताल द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना अगस्त 2023 से फरवरी 2024 के दौरान सात प्रकरणों में पारित नामांतरण आदेश निरस्त कर दिये हैं। इन सातों प्रकरणों में बिना पर्याप्त परीक्षण और जांच किये अधिकारों का दुरूपयोग कर आधारताल के तत्कालीन तहसीलदार हरिसिंह धुर्वे द्वारा नामांतरण आदेश पारित कर दिये गये थे। इन प्रकरणों में दस्तावेज भी अपूर्ण थे, कुछ में राजस्व निरीक्षक और पटवारी के जांच प्रतिवेदन नहीं थे तो कुछ में जांच प्रतिवेदन में पटवारी या राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर ही नहीं थे। एक प्रकरण ऐसा भी था जो अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के बावजूद तत्कालीन तहसीलदार आधारताल ने अपने न्यायालय में दर्ज कर नामांतरण आदेश पारित कर दिया। नामांतरण के सातों प्रकरण अनुविभागीय राजस्व अधिकारी आधारताल से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में लिये गये थे। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने सातों प्रकरणों में नामांतरण आदेश निरस्त करने का फैसला हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को सुनने के बाद दिया है। उन्होंने सभी प्रकरण तहसीलदार न्यायालय को वापस भेजने तथा आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ती कराकर नवीन प्रकरण दर्ज करने और पर्याप्त जांच गुण-दोष के आधार पर विधिक प्रक्रिया का पालन कर इनका निराकरण करने के निर्देश वर्तमान में पदस्थ तहसीलदार को दिये हैं। कलेक्टर सिंह ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि इन प्रकरणों में संबधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार से अग्रिम आदेश होने तक राजस्व अभिलेख वर्तमान स्थिति में यथावत रखा जाये।

इन प्रकरणों में पारित नामांतरण आदेश किये निरस्त

गोलबाजार, राईट टाउन निवासी विवेक गोपाल राव सोनवाने ने ग्राम लक्ष्मीपुर स्थित भूमि के नामांतरण के आवेदन पर तत्कालीन तहसीलदार अधारताल हरिसिंह धुर्वे द्वारा 23 फरवरी 2024 को पारित नामांतरण का आदेश पारित किया गया था। प्रकरण में आवेदन के साथ शासन के खाते में शुल्क जमा करने चालान और तथ्यों के समर्थन में शपथ- पत्र संलग्न नहीं था। तहसीलदार द्वारा 1989 के दस्तावेजों की छायाप्रति पर आदेश कर दिया गया, जबकि सत्यापित और नोटरी प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई थी। जांच प्रतिवेदन में हल्का पटवारी के हस्ताक्षर ही नहीं थे। बिना पर्याप्त जांच के नामांतरण आदेश पारित किया गया। इसके अलावा हर्षित नगर, यादव कालोनी निवासी पंकजा चंद एवं राजेश कुमार चंद तथा प्लाट नं. 26 कचनार बरसाना रोड, विजय नगर निवासी मंजुलता जैन पति राजेश कुमार जैन से जुड़े प्रकरण में 13 फरवरी को नामांतरण का आदेश पारित किया गया था। इस प्रकरण में वकालतनामे पर स्टाम्प नहीं था। इसके अलावा अन्य गबड़बडियां मिली । इसी प्रकार नामांतरण प्रकरण जय सिंह पवार, गुलाब सिंह पवार और लक्ष्मण सिंह पवार, निवासी बंधैया मोहल्ला, उत्तर मिलोनीगंज, से जुड़ा है।